विभाग का नाम :– ऊर्जा विभाग
विभाग का पता :– आठवां तल, बी विंग, दिल्ली सचिवालय

अतारांकित प्रश्न संख्या–16
दिनाँक :– 06.06.2018
प्रश्नकर्ता श्री ओ.पी.शर्मा
क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

<table>
<tr><th></th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>क)</td><td>बिजली वितरण कम्पनियों पर दिल्ली सरकार की कम्पनी दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड, इन्द्रप्रस्थ पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड तथा प्रगाति पावर कार्पोरेशन लिमिटेड की कितनी राशि बकाया हैं;</td><td>बिजली वितरण कंपनियॉ अर्थात बीआरपीएल, बीवाईपीएल, टीपीडीडीएल एवं एनडीएमसी पर दिल्ली सरकार की कंपनियॉ अर्थात इन्द्रप्रस्थ पावर जनरेशन कम्पनी आईपीजीसीएल, पीपीसीएल और डीटीएल का कुल बकाया अधिभार सम्मलित कर के इस प्रकार है:–
<table>
<tr><th>कम्पनी</th><th>बीआरपीएल</th><th>बीवाईपीएल</th><th>टीपीडीडीएल</th><th>एनडीएमसी</th><th></th></tr>
<tr><td>आईपीजीसीएल</td><td>1821.30</td><td>1087.25</td><td>41.70</td><td>71.53</td><td>31.05.2018 तक</td></tr>
<tr><td>पीपीसीएल</td><td>3392.97</td><td>2460.18</td><td>101.73</td><td>0</td><td>31.05.2018 तक</td></tr>
<tr><td>डीटीएल</td><td>1659.64</td><td>1050.13</td><td>242.22</td><td>33.63</td><td>30.04.2018 तक</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>ख)</td><td>सरकार इसको वसूल करने के लिए क्या कदम उठा रही हैं; पुर्ण विवरण क्या हैं; और</td><td>इन्द्रप्रस्थ पावर जनरेशन कम्पनी (आईपीजीसीएल)तथा पीपीसीएल ने इसको बीआरपीएल, बीवाईपीएल, टीपीडीडीएल से वसूल करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये हैं। एनडीएमसी के बकाया वसूली के संबंध में, आईपीजीसीएल/पीपीसीएल और एनडीएमसी के संबंधित विभागों के साथ मामला उठाया जा रहा है।
<table>
<tr><th>कमांक</th><th>नियामक आयोग/ कोर्ट</th><th>मामला संख्या याचिका/ अपील</th><th>31.05.2018 को स्थिति</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>डीईआरसी दिल्ली बिजली नियामक आयोग)</td><td>2011 की याचिका संख्या 51 और 52</td><td>डीईआरसी ने दिनांक 05.11.2013 के अपने अंतिम आदेश के माध्यम से विद्युत उत्पादन /वितरण कंपनियां, दिल्ली सरकार के विभागों को कार्य समिति का गठन करने का निर्देश दिया था जो कि एक एस्को खाते के माध्यम से विद्युत उत्पादन व वितरण के खर्चो का प्रबंधन करे व आवश्यकता अनुसार धन आवंटित करे।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>एपीटीईएल (विद्युत के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण )</td><td>2018 की याचिका संख्या 27 और 28 के माध्यम से एपीटीईएल के समक्ष याचिका दायर की गई कि डीईआरसी को निर्देशित किया जाए कि वो बीवाईपीएल और बीआरपीएल को भुगतान जारी करने के लिए आदेश करे।</td><td>कई मौकों पर मामला सुना गया था। अंतिम सुनवाई 23.05.2017 को थी। बीआरपीएल और बीवाईपीएल द्वारा भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर 2014 के W.P.(C) 104 और 105 के फैसले के बाद आगे की सुनवाई फिर से शुरू होगी।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>माननीय सर्वोच्च न्यायालय</td><td>बीआरपीएल और बीवाईपीएल ने 2014 के W.P.(C)104 और 105 अपील दायर की हैं। आईपीजीसीएल ६ पीपीसीएल प्रतिवादी संख्या 12 और 13 हैं।</td><td>02.05.2018 को सुनवाई के लिए मामला और इससे संबंधित अवमानना (बीआरपीएल और बीवाईपीएल द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दैनिक आदेशों की अवज्ञा के कारण आईपीजीसीएल /पीपीसीएल द्वारा दायर) याचिकाएं सूचीबद्ध थीं। उपरोक्त याचिका संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिनांक 19.02. 2015 की सुनवाई में सुरक्षित रखा हैं।</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>ग)</td><td>यह राशि कब तक वसूल कर ली जाएगी?</td><td>बीआरपीएल और बीवाईपीएल से बकाया वसूली के निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के साथ लंबित हैं। विभिन्न इंटरलोक्यूटरी आवेदनों (IA) के साथ 2014 के W.P.(C) 104 और 105 में अंतिम निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास लंबित है। वसूली का समय उपरोक्त मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्दे ाों पर निर्भर करेगा। वर्तमान में 26.03.2014, 06.05.2014, 03.07.2014 और 12.05.2016 के उपरोक्त मामले में माननीय सवोंच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, बीआरपीएल और बीवाईपीएल वर्तमान बकाया का आंतरिक भुगतान कर रहे हैं।</td></tr>
</table>

(वर्षा जोशी)
सचिव (ऊर्जा)

Varsha Joshi
Secretary (Power)